

परियोजना का नाम:- बागेश्वर में जिला योजना के अन्तर्गत दोफाड, धरमघर, कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपछिया तक 4किमी० मोटर मार्ग का निर्माण

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 10.12.2012 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री ~~प्रो. दत्त. सिंह~~ वन दरोगा, राजस्व विभाग की ओर से श्री ~~प्रो. दत्त. सिंह~~ राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री ~~प्रो. दत्त. सिंह~~ कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु सिविल सोयम भूमि 1.400 है०. वन पंचायत भूमि 0.700 है०, कुल वन भूमि - 2.100 है०. नाप भूमि 0.700 है० प्रस्तावित होती है। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित भूमि की मांग न्यूनतम है। प्रशन्नगत कार्य जनहित में किया जाना है।

आवेदित वन भूमि में न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार जिन वृक्षों का पातन किया जाना है

रुनकी सूची संलग्न है।

(अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना है)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खंड, कोट 70 वि०
कपकोट

प्रमाणित
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र- 64
राजस्थान- बा०
विभागा- बागेश्वर

प्रमाणित
वन क्षेत्र अधिकारी
धरमघर वन क्षेत्र
वन विभाग के प्रतिनिधि

अमर सहस्यक अभियन्ता
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

राजस्व उप निरीक्षक
राजस्व विभाग के प्रतिनिधि

सहायक अभियन्ता
निर्माण खंड, लो० नि० वि०
कपकोट (बागेश्वर)

प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
निर्माण खंड- बागेश्वर

अधिशाला अभियन्ता
निर्माण खंड, लो० नि० वि०
कपकोट (बागेश्वर)

प्रतिहस्ताक्षर
जिलाधिकारी

प्रमाणित
जिलाधिकारी
बागेश्वर

प्रति हस्ताक्षरित
प्रमाणित
वन अधिकारी

[12]

प्रमाणित
वन अधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर